बंजर भूमि (दावे) अधिनियम, 1863

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका।

1. भूमि के दावों की अथवा उसके विक्रय के बारे में आक्षेपों की जांच के लिए उपबन्ध।

2. ऐसे मामलों में प्रक्रिया।

शर्तों की सूचना।

3. जांच के लंबित रहने तक, दावेदार को दावे की अस्वीकृति का प्रतिवाद करने देने के लिए विक्रय का स्थगित किया जाना।

4. यदि दावे का सिद्ध होना प्रतीत हो तो विक्रय का रोक दिया जाना किन्तु तत्पश्चात् कार्यवाही किया जा सकना।

5. अस्वीकृति के अथवा विक्रय के आदेश की प्रति का दावेदार को परिदान।

आदेश कब अन्तिम होगा।

बोर्ड को रिपोर्ट।

बोर्ड का विनिश्चय।

न्यायालय के लिए प्रमाणित करना।

दावेदार को सूचना।

विनिश्चय कब अन्तिम होगा।

6. कलक्टर द्वारा स्वीकृत दावे का विचारण करने के लिए वाद का आदेश देने की शक्ति।

7. दावों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय।

सदस्यों की शक्ति।

प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी का अपवर्जन।

8. विशेष न्यायालयों के गठन की सूचना।

दावों का अन्य न्यायालयों में संज्ञेय न होना।

9. विशेष न्यायालयों की बैठकें कहां होंगी।

10. धारा 5 के अधीन वाद में वादी और प्रतिवादी।

उपस्थिति।

परन्तुक।

धारा 6 के अधीन वादों में वादी और प्रतिवादी।

11. कार्यवाहियों का विनियमन।

12. सुनवाई के पूर्व प्रक्रिया।

साक्षियों को उपस्थित कराना।

दावेदार की उपस्थिति की अपेक्षा करने की शक्ति।

13. सुनवाई की प्रक्रिया।

14. अपील या पुनरीक्षण न होना।

15. विधि के प्रश्नों आदि का उच्च न्यायालय आदि को निर्देश।

धाराएं

निर्देश करना कब बाध्यकर होगा ।

16. निर्देश किए जाने पर भी न्यायालय का कार्यवाही कर सकना ।

किन्तु अन्तिम आदेश न किया जा सकना ।

17. मामले के अभिलेखों को कहां जमा किया जाएगा ।

18. विक्रय की गई या व्ययन की गई भूमि के लिए दावों के बारे में परिसीमा ।

समय के अन्दर किए गए ऐसे दावों के लिए उपबन्ध ।

19. यदि दावा सिद्ध हो जाए तो कब्जा न दिया जाना किन्तु प्रतिकर दिया जाना ।

20. जब भूमि का विक्रय अन्तिम रूप से न किया गया हो या विक्रय न किया गया हो किन्तु अन्यथा व्ययन किया गया हो ।

21. अन्तिम पूर्वगामी दो धाराओं के अधीन अधिनिर्णय का पूर्ण तुष्टि के रूप में होना ।

22. अन्तिम रूप से विक्रय की गई भूमि के लिए प्रतिकर दिलाने से सरकार का वर्जित न होना चाहे दावा समय पर न किया गया हो ।

23. शर्त के अधीन विक्रय की गई भूमि के लिए उस दशा में प्रतिकर जिसमें दावा साबित हो यद्यपि समय के अन्दर न किया गया हो ।

23क. राज्य सरकार की शक्ति का राजस्व बोर्ड अथवा वित्तीय आयुक्त द्वारा प्रयोग ।

24. [निर्वचन-खण्ड । संख्या । लिंग ।] ।

[1][बंजर भूमि (दावे) अधिनियम, 1863]

(1863 का अधिनियम संख्यांक 23)[2]

[10 मार्च, 1863]

बंजर भूमि के बारे में दावों के न्यायनिर्णयन के
लिए उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—यह समीचीन है कि [3][प्रांतीय सरकार] की ओर से विक्रय किए जाने या अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए प्रस्तावित बंजर भूमि के बारे में जो दावे किए जाएं उनका और ऐसी भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन के बारे में आक्षेपों का शीघ्रता के साथ न्यायनिर्णयन करने के लिए विशेष उपबंध किया जाए; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. भूमि के दावों की अथवा उसके विक्रय के बारे में आक्षेपों की जांच के लिए उपबन्ध—जब [3][राज्य सरकार] की ओर से विक्रय किए जाने या अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी बंजर भूमि के बारे में दावा किया जाता है या जब ऐसी भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन के बारे में कोई आक्षेप किया जाता है तब उस जिले का जिसमें ऐसी भूमि स्थित है कलक्टर अथवा ऐसे जिले में भू-राजस्व कलक्टर के कर्तव्यों का पालन करने वाला अन्य अधिकारी, चाहे उसका पद किसी भी नाम से अभिहित हो, उस दशा में जिसमें वह दावा या आक्षेप ऐसी भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन में उल्लिखित अवधि के अन्दर किया जाता है, जो अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, उस दावे या आक्षेप की जांच के लिए कार्यवाही करेगा ।

2. ऐसे मामलों में प्रक्रिया—कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी उस दावेदार या आक्षेपकर्ता से कोई ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करेगा जिस पर कि वह अपने दावे या आक्षेप के सबूत के लिए निर्भर करता है; और उस पर विचार करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी उचित प्रतीत हो, करने के पश्चात् वह उस दावे या आक्षेप को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए और यदि भूमि का विक्रय किया जाना प्रस्थापित है तो उसका विक्रय किसी ऐसी शर्त या आरक्षण के अधीन, जो कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी को उचित प्रतीत हो, किए जाने के लिए आदेश देकर उस मामले का निपटाएगा ।

शर्तों की सूचना—यदि भूमि का किसी शर्त या आरक्षण के अधीन विक्रय किए जाने का आदेश दिया जाता है तो ऐसी शर्त या आरक्षण की अधिसूचना इच्छुक क्रेताओं को विक्रय के समय दी जाएगी ।

3. जांच के लंबित रहने तक, दावेदार को दावे की अस्वीकृति का प्रतिवाद करने देने के लिए विक्रय का स्थगित किया जाना—अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन किसी दावे या आक्षेप की जांच के लंबित रहने तक के लिए कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी उस भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन को स्थगित कर देगा;

---

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया ।

[2] विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा सभी भाग क राज्यों में, अनुसूचित जिलों को छोड़कर यह अधिनियम प्रवृत्त घोषित किया गया ।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा यह निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में, प्रवृत्त घोषित किया गया, अर्थात् :—

पश्चिमी जलपाईगुड़ी—
हजारीबाग, लोहारडागा (अब जिला रांची, देखिए—कलकत्ता
राजपत्र, 1899, भाग 1, पृ० 44) तथा मानभूम के जिले
और सिंहभूम जिले में……देखिए—भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ० 1 ।
परगना डालभूम तथा कोल्हन……देखिए—भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ० 504 ।
सिंहभूम जिला में पोरहाट एस्टेट……देखिए—भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृ० 1059 ।
कुमाऊं और गढ़वाल……देखिए—भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ० 605 ।
जिला मिर्जापुर का अनुसूचित भाग……देखिए—भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृ० 383 ।
जौनसार बावर……देखिए—भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृ० 382 ।
लाहौल का जिला……देखिए—भारत का राजपत्र, 1886, भाग 1, पृ० 301 ।
कामरूप, नौगांव, दारांग, सिबसागर, लखीमपुर, गोआलपाड़ा,
(पूर्वी दुआर्स रहित) और कछार (उत्तरी कछार पहाड़ियों को छोड़कर) के जिले……देखिए—भारत का राजपत्र, 1878, भाग I, पृ० 533 ।
उसी अधिनियम की धारा 3(ख) के अधीन इसका, गंजाम और विशाखापत्तनम
के अनुसूचित जिलों में, प्रवृत्त न होना घोषित किया गया……देखिए—भारत का राजपत्र, 1898, भाग 1, पृ० 872 ।
इसका पश्चात्वर्ती उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों पर विस्तार किया गया है, अर्थात् :—
पश्चिमी दुआर्स……देखिए—भारत का राजपत्र, 1875, भाग 1, पृ० 497 ।
आगरा प्रान्त की तराई……देखिए—भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ० 505 ।

बंजर भूमि (दावे) (बम्बई निरसन) अधिनियम, 1943 (1943 का मम्बई 9) द्वारा बम्बई में, निरसित किया गया ।

इस अधिनियम का विस्तार, विलयित राज्य (विधि) अधिनियम, 1949 (1949 का 59) द्वारा नए प्रांतों और विलयित राज्यों पर और भाग ग राज्य (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्य प्रदेश के राज्यों पर किया गया ।

1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर अधिनियम का विस्तार किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

और, यदि वह आदेश देता है कि ऐसे दावे या आपत्ति को स्वीकार कर दिया जाए तो वह उस भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन को और आगे स्थगित करेगा जिससे कि दावेदार या आक्षेपकर्ता इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से अस्वीकृति के आदेश का प्रतिवाद कर सके ।

4. यदि दावे का सिद्ध होना प्रतीत हो तो विक्रय का रोक दिया जाना किन्तु तत्पश्चात् कार्यवाही किया जा सकना—यदि कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी यह समझता है कि वह दावा या आक्षेप सिद्ध हो गया है और उस भूमि का विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं होना चाहिए तो वह उस भूमि का विक्रय या अन्यथा व्ययन रोक देगा;

किन्तु उस भूमि का ऐसा विक्रय या अन्यथा व्ययन तत्पश्चात् उस दशा में किया जा सकेगा जब इस अधिनियम की धारा 6 में उपबन्धित रूप में उस दावे या आक्षेप के विचारण के लिए आदेश जारी किए जाने पर [1]*** दावेदार या आक्षेपकर्ता उसे सिद्ध करने में असफल होता है ।

5. अस्वीकृति के अथवा विक्रय के आदेश की प्रति का दावेदार को परिदान—यदि कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी आदेश देता है कि उस दावे या आक्षेप को अस्वीकार कर दिया जाए या कि भूमि का किसी शर्त या आरक्षण के अधीन विक्रय कर दिया जाए या कि उसका अन्यथा व्ययन कर दिया जाए तो वह ऐसे आदेश की एक प्रति दावेदार या आक्षेपकर्ता को परिदत्त कराएगा ।

आदेश कब अन्तिम होगा—और यदि ऐसा दावेदार या आक्षेपकर्ता, ऐसी प्रति के परिदान से एक सप्ताह के अन्दर अथवा इतने अतिरिक्त समय के अन्दर जितना कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी, किसी विशेष कारण के लिए जो लेखबद्ध किया जाएगा, मंजूर करना ठीक समझे, कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी को इस बात की लिखित सूचना नहीं देता है कि उसका आशय ऐसे आदेश का प्रतिवाद करना है तो आदेश अन्तिम हो जाएगा ।

बोर्ड को रिपोर्ट—यदि दावेदार या अपेक्षाकर्ता अनुज्ञात समय के अन्दर ऐसी सूचना देता है तो कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी उस [2]*** वरिष्ठ राजस्व प्राधिकारी को [3][जिसके कि वह अव्यवहित रूप से अधीनस्थ है] तुरन्त रिपोर्ट देगा; और ऐसी रिपोर्ट के साथ मामले की सभी परिस्थितियों को तथा उस दावे या आक्षेप के समर्थन में या अन्यथा दिए गए साक्ष्य को पूर्णत: वर्णित करते हुए अपने आदेश की एक प्रति भेजेगा;

बोर्ड का विनिश्चय—और ऐसा [2]*** प्राधिकारी, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर तथा कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित करने पर जिसे वह आवश्यक समझे, कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी के आदेश को पुष्ट कर सकेगा, परिवर्तित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

न्यायालय के लिए प्रमाणित करना—यदि यथापूर्वोक्त [4]*** प्राधिकारी, कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी के आदेश को पुष्ट करता है या ऐसे आदेश को ऐसी रीति में परिवर्तित करता है जिससे ऐसे आदेश का कोई भाग उस दावेदार या आक्षेपकर्ता के प्रतिकूल प्रवृत्त बना रहता है तो कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी ऐसे आदेश को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से गठित न्यायालय के लिए प्रमाणित करके भेजेगा;

दावेदार को सूचना—और ऐसा न्यायालय तुरन्त दावेदार या आक्षेपकर्ता को सूचना देगा;

विनिश्चय कब अन्तिम होगा—और यदि ऐसा दावेदार या आक्षेपकर्ता [5]*** अपने दावे या आक्षेप को सिद्ध करने के लिए ऐसे न्यायालय में वाद संस्थित नहीं करता तो पूर्वोक्त [4]*** प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

6. कलक्टर द्वारा स्वीकृत दावे का विचारण करने के लिए वाद का आदेश देने की शक्ति—जिस तारीख को यथापूर्वोक्त बंजर भूमि के किसी दावेदार के दावे को या किसी आक्षेपकर्ता के आक्षेप को कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्वीकार किया गया है उसके पश्चात् बारह मास के अन्दर राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से गठित न्यायालय में दावेदार के दावे या आक्षेपकर्ता के आक्षेप के विचारण के लिए वाद लाए जाने का निदेश दे सकेगी ।

7. दावों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय—इस अधिनियम के अधीन दावों के अन्वेषण और विचारण के लिए राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक जिले में, जिसमें [6][राज्य सरकार] की ओर से विक्रय किए जाने या अन्यथा व्ययन किए जाने के योग्य कोई बंजर भूमि हो, एक न्यायालय गठित करेगी जिसमें विषम संख्या में कम से कम तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से एक व्यक्ति वह होगा जो जिले का न्यायाधीश है या जिले में आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है चाहे उसका पद किसी भी नाम से अभिहित हो ।

सदस्यों की शक्ति—ऐसा न्यायालय जिन सदस्यों से मिलकर बनेगा उनमें से एक या अधिक सदस्यों को मामले में ऐसे सभी आदेश देने की शक्ति होगी जो वाद की सुनवाई से पूर्व आवश्यक हों :

---

[1] 1914 के अधिनियम सं० 4 की अनुसूची, भाग 1 द्वारा "स्थानीय सरकार द्वारा" शब्द निरसित किए गए ।

[2] 1914 के अधिनियम सं० 4 की अनुसूची, भाग 1 द्वारा "राजस्व बोर्ड या अन्य" शब्द निरसित किए गए ।

[3] 1914 के अधिनियम सं० 4 की अनुसूची, भाग 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[4] 1914 के अधिनियम सं० 4 की अनुसूची, भाग 1 द्वारा "बोर्ड या अन्य" शब्द निरसित किए गए ।

[5] 1871 के अधिनियम सं० 9 द्वारा "न्यायालय से ऐसी सूचना के परिदान से तीस दिन के अन्दर" शब्द निरसित किए गए, परिसीमा के लिए, देखिए—परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी का अपवर्जन—परन्तु यदि कलक्टर या अन्य अधिकारी जिसके द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई थी जिले में आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है तो ऐसा अधिकारी ऐसे न्यायालय का सदस्य नहीं होगा ।

8. विशेष न्यायालयों के गठन की सूचना—जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय गठित किया जाता है तब उसकी सूचना एक लिखित उद्घोषणा द्वारा दी जाएगी जिसकी प्रतियां विभिन्न न्यायालयों में और जिले के अनेक कलक्टरों तथा मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों में लगाई जाएंगी ।

दावों का अन्य न्यायालयों में संज्ञेय न होना—और ऐसी उद्घोषणा के जारी किए जाने की तारीख से कोई भी अन्य न्यायालय उस प्रकार के किसी दावे या आक्षेप को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं होगा जिस प्रकार के दावों या आक्षेपों के विचारण और अवधारण के लिए ऐसा न्यायालय गठित किया गया है ।

9. विशेष न्यायालयों की बैठकें कहां होंगी—इस अधिनियम के अधीन गठित न्यायालयों की बैठकें उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं की सीमाओं के अन्दर ऐसे स्थान या स्थानों पर होंगी जो सबसे अधिक सुविधाजनक समझे जाएं ।

10. धारा 5 के अधीन वाद में वादी और प्रतिवादी—इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद में बंजर भूमि का दावेदार अथवा ऐसी भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन का आक्षेपकर्ता वादी के रूप में उपस्थित होगा; और कलक्टर या पूर्वोक्त अन्य अधिकारी [1][राज्य सरकार] की ओर से प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होगा ।

उपस्थिति—दोनों में से कोई भी पक्षकार, प्लीडर या अभिकर्ता की मार्फत उपस्थित हो सकता है :

परन्तुक—परन्तु यदि यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी जिले में, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है तो राज्य सरकार अपनी ओर से मामले में प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के लिए कोई अन्य अधिकारी नियुक्त करेगी ।

धारा 6 के अधीन वादों में वादी और प्रतिवादी—इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन संस्थित [2]*** किए जाने के लिए आदिष्ट किसी वाद में [1][राज्य सरकार] उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाने वाले किसी अधिकारी की मार्फत वादी के रूप में उपस्थित होगी; और यथापूर्वोक्त दावेदार या आक्षेपकर्ता प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होगा ।

11. कार्यवाहियों का विनियमन—इस अधिनियम के अधीन संस्थित वादों में कार्यवाहियां, इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, यथासंभव सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होंगी ।

12. सुनवाई के पूर्व प्रक्रिया—न्यायालय पक्षकारों की उपस्थिति के लिए और वाद की सुनवाई के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं को दी जाएगी; और इस प्रकार नियत दिन को पक्षकार या उनके अभिकर्ता अपने साक्षियों को, ऐसी किन्हीं दस्तावेजों के सहित न्यायालय में लाएंगे जिन पर कि अपने कथनों के समर्थन में निर्भर करने का उनका इरादा हो ।

साक्षियों को उपस्थित कराना—यदि दोनों में से कोई पक्षकार ऐसे दिन किसी साक्षी को उपस्थित कराने में न्यायालय की सहायता चाहता है तो वह वाद की सुनवाई के लिए नियत दिन से पूर्व पर्याप्त समय पर न्यायालय को आवेदन करेगा; और न्यायालय उस दिन न्यायालय में ऐसे साक्षी की उपस्थिति अपेक्षित करते हुए एक सपीना जारी करेगा ।

दावेदार की उपस्थिति की अपेक्षा करने की शक्ति—न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह सुनवाई के लिए नियत दिन को या वाद के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर यथापूर्वोक्त बंजर भूमि के दावेदार या आक्षेपकर्ता की वैयक्तिक उपस्थिति की अपेक्षा करे ।

13. सुनवाई की प्रक्रिया—वाद की सुनवाई के लिए नियत दिन को या उसके पश्चात् यथासाध्यशीघ्र न्यायालय बंजर भूमि के दावेदार, या आक्षेपकर्ता, या (जब उसकी वैयक्तिक उपस्थिति अपेक्षित न हो) उसके अभिकर्ता और पक्षकारों के साक्षियों की परीक्षा आरम्भ करेगा ।

और ऐसी परीक्षा करके तथा पक्षकारों के दस्तावेजों का निरीक्षण करने और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक प्रतीत हो, मामले में ऐसा आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे ।

14. अपील या पुनरीक्षण न होना—इस अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश की न तो कोई अपील होगी और न कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

15. विधि के प्रश्नों आदि का उच्च न्यायालय आदि को निर्देश—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी वाद के विचारण में कोई विधिका या विधि का बल रखने वाली प्रथा का अथवा मामले के गुणागुण को प्रभावित करने वाले किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन का कोई प्रश्न उठता है जिसके बारे में न्यायालय को युक्तियुक्त शंकाएं हों तो न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से अथवा वाद के पक्षकारों में से

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "स्थानीय सरकार द्वारा" शब्द निरसित किए गए ।

किसी के आवेदन पर मामले का कथन लेखबद्ध करेगा और उसे अपनी राय सहित, उच्च न्यायालय की अथवा उस राज्यक्षेत्र में जिसमें वह भूमि स्थित है अपील और पुनरीक्षण के सर्वोच्च सिविल न्यायालय की राय के लिए भेजेगा :

निर्देश करना कब बाध्यकर होगा—परन्तु इस अधिनियम के अधीन अधिविष्ट प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय को ऐसा निर्देश उस दशा में करे जब इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में व्यापक महत्व के किसी सिद्धांत या किसी वर्ग के अधिकारों से संबंधित कोई प्रश्न पैदा होता है ।

16. निर्देश किए जाने पर भी न्यायालय का कार्यवाही कर सकना—उच्च न्यायालय या यथापूर्वोक्त अपील के सर्वोच्च सिविल न्यायालय को निर्देश किए जाने पर भी न्यायालय मामले में कार्यवाही कर सकेगा; और निर्दिष्ट मामले पर उच्च न्यायालय या यथापूर्वोक्त अन्य न्यायालय की राय पर समाश्रित आदेश पारित कर सकेगा :

किन्तु अन्तिम आदेश न किया जा सकना—किन्तु वाद में प्रश्नगत भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन के लिए अथवा किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए, जो कि ऐसे वाद में न्यायालय के समक्ष हो, कोई अन्तिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उक्त उच्च न्यायालय या अपील के सर्वोच्च सिविल न्यायालय का आदेश प्राप्त न हो जाए ।

17. मामले के अभिलेखों को कहां जमा किया जाएगा—इस अधिनियम के अधीन गठित न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों का अभिलेख उस जिले में, जिसमें विवादग्रस्त सम्पत्ति स्थित है, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के अभिलेखों में जमा किया जाएगा ।

18. विक्रय की गई या व्ययन की गई भूमि के लिए दावों के बारे में परिसीमा—किसी भूमि के बारे में अथवा बंजर भूमि के रूप में [1][राज्य सरकार] की ओर से विक्रय या अन्यथा व्ययन की गई किसी भूमि के संबंध में प्रतिकर या नुकसानी के बारे में कोई दावा उस तारीख से, जिसको ऐसी भूमि [1][राज्य सरकार] द्वारा क्रेता को सौंप दी गई हो या उसका अन्यथा व्ययन कर दिया गया हो, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

समय के अन्दर किए गए ऐसे दावों के लिए उपबन्ध—यदि किन्हीं भूमियों के [1][राज्य सरकार] द्वारा क्रेता को सौंप दिए जाने अथवा उनका अन्यथा व्ययन कर दिए जाने के पश्चात् तीन वर्ष के अन्दर कोई दावेदार या आक्षेपकर्ता इस प्रकार सौंपी गई या अन्यथा व्ययन की गई भूमि के बारे में कोई दावा या ऐसे विक्रय के बारे में कोई आक्षेप अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर या नुकसानी के लिए दावा उस जिले के लिए, जिसमें वह भूमि स्थित है, इस अधिनियम के अधीन गठित न्यायालय में करता है; और अपने दावे या आक्षेप के कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 1 के अधीन समय परिसीमा के अन्दर न किए जाने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण दर्शित करता है; तो ऐसा न्यायालय वाद में दावेदार या आक्षेपकर्ता को वादी बनाते हुए और जिले के कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी को (उस दशा में जिसमें ऐसा अन्य अधिकारी जिले में आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, यथापूर्वोक्त समान उपबन्ध के सहित) प्रतिवादी बनाते हुए उस दावे या आपत्ति को फाइल करेगा;

और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्ध वाद के विचारण और अवधारण को लागू होंगे ।

विक्रय की गई या अन्यथा व्ययन की गई भूमि को [1][राज्य सरकार] की ओर से सौंपने अथवा उसका कब्जा लेने के लिए नियोजित अधिकारी की रिपोर्ट उस तारीख की बाबत निश्चायक साक्ष्य होगी जिसको भूमि इस प्रकार सौंपी गई थी या उसका कब्जा लिया गया था ।

19. यदि दावा सिद्ध हो जाए तो कब्जा न दिया जाना किन्तु प्रतिकर दिया जाना—किसी ऐसे मामले में, जिसमें भूमि का विक्रय कर दिया गया है, यदि न्यायालय की यह राय है कि दावेदार का दावा सिद्ध हो गया है तो वह न्यायालय दावेदार को विवादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं दिलाएगा किन्तु उसे आदेश देगा कि वह वाद के खर्च के अतिरिक्त इतनी राशि, जो उस कीमत के बराबर है जिस पर कि भूमि का विक्रय किया गया था, प्रतिकर के तौर पर [1][राज्य सरकार] के खजाने से प्राप्त करे ।

20. जब भूमि का विक्रय अन्तिम रूप से न किया गया हो या विक्रय न किया गया हो किन्तु अन्यथा व्ययन किया गया हो—यदि [1][राज्य सरकार] की ओर से भूमि का विक्रय किसी शर्त या आरक्षण के अधीन किया गया है या विक्रय नहीं किया गया है किन्तु अन्यथा व्ययन किया गया है और न्यायालय की राय है कि ऐसी भूमि के लिए दावा या आक्षेपकर्ता का आक्षेप सिद्ध हो गया है तब न्यायालय दावेदार या आक्षेपकर्ता को ऐसी भूमि में उसके हित के सम्बन्ध में इतनी राशि प्राप्त करने का अधिनिर्णय देगा जितनी (लोक प्रयोजनों के लिए भूमियों के अर्जन के लिए) 1857 के अधिनियम 6 [2]के उपबन्धों के अधीन इस निमित्त अधिनिर्णीत की जाती है;

और तब राज्य सरकार ऐसे हित के मूल्य का अधिनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही करेगी ।

21. अन्तिम पूर्वगामी दो धाराओं के अधीन अधिनिर्णय का पूर्ण तुष्टि के रूप में होना—अन्तिम पूर्वगामी दो धाराओं के उपबन्धों में से किसी के अधीन कोई अधिनिर्णय दावेदार या आक्षेपकर्ता के दावे की पूर्ण तुष्टि के रूप में होगा; और उसकी ओर से

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 2 देखिए ।

भविष्य में किसी ऐसे दावे को वर्जित करेगा जो वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उसी वाद-हेतुक पर अथवा ऐसे वाद-हेतुक पर आधारित है जो [1][राज्य सरकार] की ओर से उस भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन की तारीख के पूर्व विद्यमान था ।

22. अन्तिम रूप से विक्रय की गई भूमि के लिए प्रतिकर दिलाने से सरकार का वर्जित न होना चाहे दावा समय पर न किया गया हो—इस अधिनियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह राज्य सरकार को इस बात से निवारित करती है कि वह उस [1][राज्य सरकार] की ओर से विक्रय की गई बंजर भूमि के किसी दावेदार को, राज्य सरकार को समाधानप्रद रूप में ऐसे दावेदार के दावे के सबूत पर (इस बात के होते हुए भी कि उसने अपना दावा कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी के समक्ष या इस अधिनियम के अधीन गठित उचित न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम द्वारा विहित अवधि के अन्दर नहीं किया है) इस अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित रकम संबंधी परिसीमा के अन्दर उक्त भूमि के लिए प्रतिकर की इतनी रकम जितनी वह राज्य सरकार उचित समझती है उस दशा में दिलाए जब उस भूमि का विक्रय किसी शर्त या आरक्षण के अधीन न किया गया हो ।

23. शर्त के अधीन विक्रय की गई भूमि के लिए उस दशा में प्रतिकर जिसमें दावा साबित हो यद्यपि समय के अन्दर न किया गया हो—यदि [1][राज्य सरकार] की ओर से भूमि का विक्रय किसी शर्त या आरक्षण के अधीन किया गया है या उसका अन्यथा व्ययन किया गया है और ऐसी भूमि के लिए कोई दावा अथवा उस भूमि के विक्रय या अन्यथा व्ययन के बारे में कोई आक्षेप राज्य सरकार को समाधानप्रद रूप में साबित हो जाता है, चाहे वह कलक्टर या यथापूर्वोक्त अन्य अधिकारी के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम द्वारा विहित अवधि के अन्दर न किया गया हो, तो राज्य सरकार ऐसे दावेदार या आक्षेपकर्ता को इतनी रकम दिला सकेगी जितनी ऐसी राज्य सरकार को ऐसी भूमि में उस दावेदार या आक्षेपकर्ता के हित के मूल्य के बराबर प्रतीत हो ।

[2][**23क. राज्य सरकार की शक्ति का राजस्व बोर्ड अथवा वित्तीय आयुक्त द्वारा प्रयोग**—ऐसे राज्य में जिसमें राजस्व बोर्ड या वित्तीय आयुक्त हो, धारा 6, 10, 22 और 23 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या वित्तीय आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा ।]

24. [निर्वचन-खण्ड । संख्या । लिंग ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10), धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1, द्वारा अन्त:स्थापित । उत्तर प्रदेश पर लागू होने के लिए धारा 23क का लोप किया गया, देखिए—उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1922 (1922 का उत्तर प्रदेश 12) ।